

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 20.12.2021 व भू अभिलेख निरीक्षक 20.12.2021 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम वरावली का पटवार हल्का 81 तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2075-78 में खाता संख्या 81 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
01	वरावली का खेड़ा	81	अनिलपदन नम्बरो में प्रसमीन: वालर लेना पाया गया	खाला सं. 81 भा. नं. 675/156 में मेट्रीक शीट (online) में शुद्ध किमे जाने का आदेश दिया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

दिनांक:- 16/11/2021

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 22

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

